फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी :– श्री मंहत रास बिहारी **विपक्षी :– श्री खेमसिंह**

किस्म मुकदमा – 53 रा.का.अ. **पत्रावली संख्या : 170/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 12.09.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः वादी सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/– अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैः–

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मंहत रास बिहारी शरण पुत्र मुरली मनोहर शरण जी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण नि. अस्थल मंदिर, सुरजपोल उदयपुर तह. गिर्वा उदयपुर खातेदार	1782/1056/1	1.2949	बा.तृ.	4.31
	योग	**किता 1**	**1.2949**	–	**4.31**
2	खेमसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1782/1056/2	0.3238	बा.तृ.	1.08
	योग	**किता 1**	**0.3238**	–	**1.08**

नोट– उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:09 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 170/22 (वाद) GCMS No. : 2022/438

उनवान

1. श्री मंहत रास बिहारी शरण पिता मुरली मनोहर शरण सेवक निवासी अस्थल मंदिर सुजरपोल, उदयपुर तह. गिर्वा।

................वादी

बनाम

1. श्री खेमसिंह पिता नाथुसिंह राजपूत निवासी मारूवास तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.09.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा मारूवास पटवार हल्का नउवा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	मंहत रास बिहारी शरण पुत्र मुरली मनोहर शरण जी हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण नि. अस्थल मंदिर, सुरजपोल उदयपुर तह. गिर्वा उदयपुर खातेदार	1782/1056/1	1.2949	बा.तृ.	4.31
	योग	**किता 1**	**1.2949**	–	**4.31**
2	खेमसिंह पुत्र नाथुसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	1782/1056/2	0.3238	बा.तृ.	1.08
	योग	**किता 1**	**0.3238**	–	**1.08**

नोट–उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 12.09.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.28 13:17:09 IST
Reason: SelfAttested